

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(आई-6)आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/2044-6 दिनांक : 9/3/2010

कार्यालय आदेश

विभागीय पत्रांक एफ.18(199)जग्रविभूस/पीएफसी/2009/1822-2104 दिनांक 11.11.2009 के द्वारा आईडब्ल्यूएमपी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति के अनुसार इन सभी परियोजनाओं के लिए सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया था।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के पत्रांक 336 दिनांक 11.12.2009 एवं 1058 दिनांक 19.2.2010 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक के-11013/3/2009-आईडब्ल्यूएमपी. (राजस्थान) दिनांक 4.2.2010 की अनुपालना में उक्त कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भीलवाड़ा जिले में रायपुर, माण्डलगढ़ एवं जहाजपुर पंचायत समितियों में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गैर सरकारी संस्थाओं को परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया जाता है :-

क्र. सं.	गैर सरकारी संस्था का नाम	जलग्रहण परियोजना के मैको/भाइको नम्बर	पंचायत समिति	स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	विश्वास संस्था, उदयपुर	13/3, 13/4	रायपुर	8067
2	एफ.ई.एस., भीलवाड़ा	5/2	माण्डलगढ़	2175
3	एफ.ई.एस., भीलवाड़ा	1/1, 3/4, 3/5, 3/6, 3/8	जहाजपुर	7191

उक्त आदेश अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान सरकार से अनुमोदित है।

21/11/09  
आयुक्त एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
एस.एल.एन.ए.

क्रमांक : एक.18(आई-6)आईडब्ल्यूएनपी/2009-10/2044-6/दिनांक 9.8.2010

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त सचिव, भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक नम्बर-11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण रोजगार मारन्टी योजना, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
7. अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस.), आयुक्तालय, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (आई.डब्ल्यू.एन.पी.), आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश कार्यान्वयन हेतु एस.एल.एन.ए. की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. परियोजना प्रबन्धक, डी.डब्ल्यू.जी.यू. जिला परिषद, भीलवाड़ा।
11. लेखाधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
12. सहायक अभियन्ता (जलग्रहण), पंचायत समिति, जहाजपुर/रायपुर/माण्डलगढ़।
13. विश्वास संस्था, 51, अशोक नगर, उदयपुर।
14. एफ.ई.एस., सुभाष नगर, भीलवाड़ा।

21.10.10  
आयुक्त एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
एस.एल.एन.ए.